न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

रेफरेन्स / 09 / 2010

ग्राम वासीयान ग्राम जाटौलीघना तहसील भरतपुर द्वारा रघुनाथ सिंह पुत्र हीरालाल जाति ठाकुर निवासी जाटौलीघना तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रार्थीगण

1– अंगूरी पुत्री खीसा जाति गूजर निवासी बीनारायण दरवाजा भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर
2–राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 269 ग्राम जाटौलीघना तहसील भरतपुर।

उपस्थित :–

1–श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक प्रार्थी
2–श्री उदयवीर कषाना अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः–18.06.2019

प्रार्थी ने यह रेफरेन्स इस आश्य का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बरान हाल 526 / 819 / 0.30, 525 / 818 / 0.20 साविक खसरा नम्बर 92 मिन / 1.4 93 मिन / 1.18 वाके ग्राम जाटौलीघना तहसील भरतपुर चारागाह की भूमि है जो अब हाल में ग्रामवासीयान के सार्वजनिक उपयोग की आबादी के काम में आ रही है। आराजी पर अवैध एवं शून्य आवंटन / नियमन के आधार पर गैर अप्रार्थी संख्या एक के पिता स्व0 घीसा को वरिष्ठ पहले गैर खातेदार व बाद में खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने हेतु दाखिल खारिज संख्या 269 स्वीकार कर दिये है। चारागाह भूमि पर किसी व्यक्ति को धारा 16 राजस्थान राज काश्तकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गैर खातेदारी / खातेदारी अधिकार

दिया जाना प्रतिबन्धित है। इसलिए उक्त दोनों नामान्तकरण वहक स्व0 घीसा निरस्त किये जाने योग्य हैं। घीसा के मृत्योपरांत आराजी मुतनाजा पर विरासत का नामान्तकरण के अप्रार्थी संख्या एक के नाम खोला गया है। यह नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त तीनों नामान्तकरण जन नीति के विरूद्ध उनके तहत दर्ज भूखण्ड सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की सरकारी भूमि है। इसलिए इन नामान्तकरणों को निरस्त कराने हेतु यह मामला राजस्व अजमेर को भेजा जाना न्यायहित में आवश्यक है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि गत आराजी खसरा नं0 526/819/0.30, 525/818/0.20 साविक खसरा नम्बर 92 मिन/1.4, 93 मिन/1.18 वाके ग्राम जाटौलीघना तहसील भरतपुर चारागाह की भूमि है । यह भूमि आबादी से लगी हुई है। इस भूमि का कोई आवंटन नहीं हुआ है। घीसा को पहले गैर खातेदार व बाद में खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने हेतु दाखिला खारिज संख्या 259 स्वीकार कर लिया था। यह चारागाह भूमि पर किसी व्यक्ति को धारा 16 राजस्थान राज काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है। इसलिए दोनों नामान्तकरण अनावेदिका जो संख्या 1 के नाम खोला गया है। नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी अभिभाषक ने जाहिर किया है कि रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को भिजवाया जावे।

अप्रार्थी अभिभाषक ने लिखित बहस में जाहिर किया है कि न्यायालय हाजा धारा 82 एल.आर.एक्ट में रेफरेन्स पेश किया है। प्रार्थियान को कोई भी हित आराजी साविक व हाल में न होने प्रार्थनापत्र रेफरेन्स पेश करने का कोई अधिकार नहीं हैं । हाल खसरा नम्बरान 526/819/0.30, 525/818/0.20 रकवा 30 एयर कुल किता .2 रकवा 50 एयर बाके ग्राम जाटौलीघना तहसील व जिला भरतपुर अंगूरी पुत्री घीसा कौम गुर्जर की खातेदारी काश्तकारी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आराजी कृषि भूमि अंगूरी ने अपने पिता स्व. घीसा के मरने के बाद विरासत हक हकूक खातेदारी के प्राप्त हुए हैं। चूंकि अंगूरी अपने पिता स्व0 घीसा की एक मात्र अकेली उत्तराधिकारी थी। अप्रार्थी अपने खातेदारी काश्तकारी की आराजी कृषि भूमि पर

उसके पिता के जीवनकाल से ही काबिज होकर काश्तकारी चली आ रही है तथा राजस्व विभाग में लगान अदा करती चली आ रही है।

प्रार्थी ने उक्त रेफरेन्स अप्रार्थीया को महज तंत्र व परेशान करने की गरज से किया है। प्रार्थीगण धनबल व बाहुबल से सरजोर व्यक्ति है जिसका परिवार काफी बडा है जो अलग–अलग नामों से भिन्न –भिन्न अदालतों में दीवानी, राजस्व, रैफरेन्स के मुकदमे अप्रार्थीया के विरूद्व विवादित आराजी खसरा नम्बरान के बाबत पेश करते रहते है।

इसी प्रकार एक विविध दीवानी प्रार्थनापत्र संख्या 194/2015 न्यायालय सिविल न्यायाधीश भरतपुर ने दिनांक 08.09.2015 को उक्त विवादित खसरा संख्या 454/2008 अंगूरी बनाम रतनसिंह न्यायलय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दिनांक 29.04.2016 को उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरान के बाबत निर्णय व डिक्री फरमाया है तथा इसी प्रकार प्रकरण संख्या 137/1996 एसीएम भरतपुर में दिनांक 31.3.2001 को उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरान के बाबत निर्णय व डिक्री फरमाया है। आराजी खसरा नम्बरान 92 मिन रकवा 1 बीघा 4 बिस्वा, 92 मिन रकवा 1 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम जाटौलीघना अंगूरी के पिता स्व. घीसा पुत्र बीरबल जाति गुर्जर को राज्य सरकार से कृषि कार्य हेतु आंवटित हुये थे। अंगूरी के पिता स्व0 घीसा आर्मी में नौकरी करते थे और आर्मी कोटे में उनको उक्त कृषि भूमि कार्य हेतु आवंटित हुई थी। प्रार्थीया के पिता स्वर्गीय घीसा के नाम विधिवत रूप से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज , नामान्तकरण पंजिका ग्राम जाटौलीघना के नामान्तकरण संख्या 269 दिनांक 11.4.1970 के द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। तभी से ही प्रार्थीया अंगूरी उक्त आराजी कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। विवादित भूमि चारागाह भूमि नहीं है। बल्कि खातेदारी की आराजी है। घीस्या के मरने के बाद विरासत दाखिला 463 अंगूरी के नाम विधिवत रूप से दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण एक ही परिवार व समुदाय विशेष के धनबल व बाहुबल से सरजोर व्यक्ति है। जबकि अप्रार्थीया एक गरीब असहाय व बुजुर्ग महिला है। जिसकी खातेदारी की आराजी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। रेफरेन्स खारिज किया जाने की अपील की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्षकारान अभिभाषक के तर्कों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के

अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रस्तुत रेफरेन्स दर्ज आदेश प्रार्थी द्वारा लम्बी अवधि के बाद पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा देरी से पेश करने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया। है। इतनी लम्बी अवधि के बाद प्रार्थी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स के द्वारा किसी की खातेदारी को निरस्त नहीं किया जा सकता। दौराने बहस यह भी बताया गया कि विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य सक्षम राजस्व न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, जहॉ पक्षकारान के विवादित आराजी बाबत हक हकूक तैय होने हैं। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.6.2019 को सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official